

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था/सी-3/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/भौगक/2020-21/110 दिनांक:- 11/09/2020

:: कार्यालय आदेश ::

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50 (1) के प्रावधानान्तर्गत निम्नांकित कार्मिक जो राज्य सेवा में कार्यरत है, ने नियमानुसार दिनांक: 25.06.2020 को नोटिस प्रस्तुत कर कॉलम संख्या 06 में अंकित दिनांक से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही है।

राजस्थान सिविल सेवा नियम (पेंशन) नियम- 50(1) के प्रावधानानुसार निम्नांकित कार्मिक 15 वर्ष की अर्हकारी सेवाएं एवं 45 वर्ष की आयु दोनों शर्तें पूर्ण करते हैं, उक्त नियमों के अन्तर्गत कॉलम संख्या-06 में अंकित दिनांक से निम्नांकित कार्मिक को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	नाम व्याख्याता मय पदस्थापन स्थान (राउमावि/राबाउमावि)	व्याख्याता विषय	जन्मतिथि	राज्य सेवा में नियुक्ति तिथि	वांछित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती संगीता मल्होत्रा, राजकीय ओसवाल जैन उच्च माध्य. विद्यालय, अजमेर	गणित	01.03.1964	30.01.1990	01.10.2020

- सम्बन्धित संस्था प्रधान/कार्यालयाध्यक्ष उक्त कार्मिक से ऑडिट सम्बन्धित वसूली/अन्य वसूली निकाली जावेगी तो सम्पूर्ण जिम्मेवारी कार्मिक की होगी, का सम्बन्धित से स्वयंहस्ताक्षरित शपथ पत्र लिया जाकर निर्धारित तिथि को सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित कार्यवाही करें। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति तिथि अकार्य दिवस होने के कारण उक्त तिथि का वेतन देय नहीं होगा।
- यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्रीमती संगीता मल्होत्रा के विरुद्ध आज तक :-
 - राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
 - राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
 - कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है। पूर्व में परिनिन्दा दण्ड 24.02.2008 एवं एक वेतन वृद्धि 30.09.2014 के द्वारा दण्डित किया गया है।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था/सी-3/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/भौगक/2020-21/110 दिनांक:- 11/09/2020
प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- निदेशक, पेंशन एवं पेंशन वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- संबंधित उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
- संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, अजमेर संभाग, अजमेर।
- जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, अजमेर।
- प्रधानाचार्य, रा. ओसवाल जैन उ.मा.वि., अजमेर को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित कार्मिक से कोई न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, का पचास रुपये के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रपत्र-6 प्राप्त कर अंतिम अदेय प्रमाण पत्र जारी करें, साथ ही शाला दर्पण को अद्यतन करें।
- संबंधित कार्मिक श्रीमती संगीता मल्होत्रा, व्या. (गणित) रा. ओसवाल जैन उ.मा.वि. अजमेर।
- अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता अनुभाग/एसीआर अनुभाग/एबी अनुभाग/ओएसी अनुभाग
- निजी/रक्षित पत्रावली।

(सयुक्त निदेशक (कार्मिक))